



2026:AHC:166505

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 3195/2026

रामावध उर्फ शेरू राजभर

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विरोधी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : दीपेश कुमार ओझा

विरोधी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.,

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक द्वारा दायर पूरक हलफनामे को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपेश कुमार ओझा की ओर से उपस्थित श्री अभिनव मिश्रा और श्री आर.एन. श्रीवास्तव, राज्य के लिए विद्वान एजीए को सुना।
3. तत्काल जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 187/2020 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 411, 394, पुलिस स्टेशन- बरेसर, जिला गाजीपुर, के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया, आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था, लेकिन सह-आरोपी के बयान के आधार पर बिना किसी ठोस सबूत के जांच के दौरान उसे वर्तमान मामले में आरोपी बनाया गया है। वह आगे प्रस्तुत करता है, सह-अभियुक्त के बयान और पुलिस के समक्ष आवेदक के इकबालिया बयान को छोड़कर, आवेदक के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।
5. वह आगे प्रस्तुत करता है, वास्तव में आवेदक का 18 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है और इसलिए जांच के दौरान पुलिस ने उसे वर्तमान मामले में फंसाया है।
6. उन्होंने आगे तर्क दिया, आवेदक के पूरे आपराधिक इतिहास को समझाया गया है और अधिकांश मामलों में वह जमानत पर है।
7. वह आगे प्रस्तुत करते हैं, वर्तमान मामले में भी आवेदक 18.12.2020 से यानी पिछले साढ़े पांच साल से अधिक समय से जेल में है।
8. वह इसके बाद प्रस्तुत करते हैं, आवेदक के आपराधिक इतिहास के आधार पर आवेदक की लंबी कैद को ध्यान में रखते हुए उसकी जमानत याचिका को अस्वीकार करना उचित नहीं है।
9. उन्होंने आगे तर्क दिया, इसलिए उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
10. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया, आवेदक कठोर अपराधी है और वर्तमान मामले के अलावा उसके पास 18 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, लेकिन आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर अन्य तर्क पर विवाद नहीं कर सका।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. मैंने दोनों पक्षों को सुना है और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।
12. यह दर्शाता है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था और जांच के दौरान बिना किसी ठोस सबूत के उसे आरोपी बनाया गया है।
13. इसके अलावा, हालांकि वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का 18 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, लेकिन उसके पूरे आपराधिक इतिहास को समझाया गया है। इसके अलावा, इस न्यायालय के विचारशील दृष्टिकोण में भी आवेदक के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों और आवेदक के आपराधिक इतिहास के आधार पर साढ़े पांच साल से अधिक की कैद पर विचार करते हुए, तत्काल जमानत आवेदन को रोकना उचित नहीं है। यह भी दर्शाता है, हालांकि आवेदक पिछले साढ़े पांच साल से अधिक समय से जेल में है, लेकिन आज तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है और इसलिए यह दर्शाता है कि आवेदक के त्वरित विचारण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है।
14. सर्वोच्च न्यायालय ने **साहिल मनोज मचारे बनाम महाराष्ट्र राज्य, एसएलपी (आपराधिक) संख्या 7502/2026** के मामले में **04.05.2026** को निर्णीत, हत्या के मुकदमे का सामना कर रहे एक आरोपी को इस आधार पर जमानत दे दी कि वह चार साल से जेल में था और उसे जमानत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ-6 में निम्नानुसार कहा: -

"6. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि याचिकाकर्ता पर हत्या के अपराध का आरोप लगाया गया है , लेकिन बार-बार, हमने कहा है कि अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, यदि त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो अदालत को जमानत के लिए याचिका पर उचित रूप से विचार करना चाहिए।"

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



15. इसके अलावा, कानून का निपटारा किया जाता है, यदि अन्यथा जमानत का मामला बनाया जाता है तो केवल आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर आमतौर पर जमानत आवेदन को रोका नहीं जाना चाहिए।

16. **अयूब खान बनाम राजस्थान राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3763** के मामले में पैराग्राफ-10 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस प्रकार टिप्पणी की: -

"10. अभियुक्त के पूर्ववृत्त की उपस्थिति उसके द्वारा की गई जमानत के लिए प्रार्थना का निर्णय लेने के लिए कई विचारों में से एक है। किसी दिए गए मामले में, यदि अभियुक्त तथ्य की स्थिति और कैद की अवधि के आधार पर एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाता है, तो पूर्ववृत्त की उपस्थिति जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती है। ऐसा मामला हो सकता है जहां अदालत केवल लंबी कैद के आधार पर जमानत दे सकती है। ऐसे मामले में पूर्ववृत्त की उपस्थिति प्रासंगिक नहीं हो सकती है। किसी दिए गए मामले में, न्यायालय डिफॉल्ट जमानत दे सकता है। फिर, ऐसे मामले में अभियुक्त की पृष्ठभूमि अप्रासंगिक है। इस प्रकार, अजीबोगरीब तथ्यों के आधार पर, न्यायालय पूर्ववृत्त के अस्तित्व के बावजूद जमानत दे सकता है....."

17. इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

18. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



19. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक, **रामवध उर्फ शेरू राजभर** को निम्नलिखित शर्तों पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट न दी जाए।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

20. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत को रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

21. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन)

05.08.2026

शहरोज़

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”